



भाकृअनुप-केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान

ग्रास फार्म रोड, मेरठ छावनी-250001

Telephone/दूरभाष% 0121&2657133] 0121&2645598 Fax/फैक्स% 0121&2657134

E-mail: director.circ@icar.gov.in Web site: <http://www.circ.icar.gov.in>



I kołtfud uhykeh I puk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप-केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, मेरठ Nkouh dsi र्कसक esfuEu oh; L xqkorrk vkj LokLFk dsvk/kkj ij I LFkku ds23 I kMksdth uhykeh fnukd 29-10-2024 को प्रातः 10:00 बजे संस्थान में सुनिश्चित की गयी है। अतः uhykeh I puk tkjh gksdsi 'pkr uhykeh esHkkx ysdsbPNqd I Hkh Hkkxhinkj uhyke fd; stkusokysl Hkh I kMks dsvoykslu gsq I LFkku esfdl h Hkh dk; Lfnol dsnkjku iwkjgu 10%00 ctsl svijkgu 4%00 ctsrd i Hkkjh chvkj; , eth; w l sl kMksdsfo"k; estkudkjh i klr dj I drsgA fuykeh ifdz k dsfo"k; esl Ei w k tkudkjh I LFkku dh osl kb/ <https://circ.icar.gov.in> ij mi yC/k gA

i Hkkjh Hk. Mkj , oa Ø;



भाकृअनुप—केंद्रीय गोवंष अनुसंधान संस्थान

ग्रास फार्म रोड, मेरठ छावनी—250001

Telephone/दूरभाष% 0121&2657133] 0121&2645598 Fax/फैक्स% 0121&2657134
E-mail: director.circ@icar.gov.in Web site: http://www.circ.icar.gov.in



पत्रांक सं-11—6(3)/Culledanimal acution/Store/2023

fnukrd% 03-10-2024

I kottfud uhykehi I puk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप—केंद्रीय गोवंष अनुसंधान संस्थान, मेरठ छावनी के प्रक्षेत्रा में निम्न वीर्य गुणवत्ता और स्वास्थ्य के आधार पर संस्थान के 23 सांडों की नीलामी दिनांक 29.10.2024 को प्रातः 10:00 बजे संस्थान में सुनिश्चित की गयी है। अतः नीलामी में भाग लेने के इच्छुक सभी भागीदार नीलाम किये जाने वाले सभी सांडों के अवलोकन हेतु नीलामी सूचना जारी होने के पश्चात संस्थान में किसी भी कार्य दिवस के दौरान विज्ञापन की दिनांक से पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक बीआरयू/एमजीयू प्रभारी से सांडों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी प्रक्रिया के विषय में सम्पूर्ण जानकारी संस्थान की वेबसाईट <https://circ.icar.gov.in> पर उपलब्ध है।

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी का कार्य निदेशक, भाकृअनुप—केंद्रीय गोवंष अनुसंधान संस्थान, मेरठ छावनी द्वारा गठित समिति के अधिकारी सम्पन्न करायेंगे उनका अधिकारी होगा कि बोली बोलने वालों की संख्या यदि 03 से कम होगी तो नीलामी अन्य किसी कार्य दिवस में की जायेगी जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले सभी भागीदार सभी 23 सांडों के अवलोकन हेतु विज्ञापन जारी होने के दिनांक से संस्थान में किसी भी कार्य दिवस के दौरान पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक संस्थान के बीआरयू/एमजीयू प्रभारी से सांडों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी के बाद जानकारी की अनभिज्ञता के फलस्वरूप कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 3- नीलामी में भाग लेने हेतु सभी भागीदारों को संस्थान में धनराशि रूपये 10000/- (रूपये दस हजार मात्रा) नगद/डीडी के रूप में जमा करानी होगी। डीमांड ड्राफ्ट “ICAR UNIT CIRC, MEERUT” के पक्ष देय हो। सफल बोली दाता की यह धनराशि, धरोहर राशि के रूप में रोक कर रखी जायेगी। अन्य असफल बोलीदाता की धनराशि/डीडी नीलामी के उपरान्त तुरन्त वापिस कर दी जायेगी। सफल बोली दाता को नीलामी की 50% धनराशि उसी दिन संस्थान के खाते में ऑन लाईन/ डीमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी एवं सभी सांडों की पूर्ण राशि का भुगतान ऑन लाईन/ डीमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करके 07 कार्य दिवस के अंतर्गत संस्थान से स्वयं के खर्च पर पशु कूरता अधिनियम का पालन करते हुए स्थानांतरित करना होगा। यदि कोई बोली दाता उक्त शर्त का पालन करने में अस्मर्थ रहता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीकर्ता सील बंद लिफाफे में अपना आवेदन संस्थान के भंडार अनुभाग के निविदा बॉक्स में जमा करा सकते हैं।
5. उक्त नीलामी में नीलाम किए गए सभी सांडों के रक्षण हेतु सफल बोलीदाता को सुनिश्चित करना होगा कि सांडों का उपयोग गोवंष प्रजनन हेतु किया जायेगा और किसी भी सांड का गैर—कानूनी कार्य हेतु उपयोग नहीं होगा एवं नीलाम किए गए किसी भी सांड की प्राकृतिक मृत्यु के उपरांत संस्थान को सूचित करना होगा।
6. सांडों की नीलामी करते समय किसी को भी आरक्षित मूल्य नहीं बताया जाएगा।
7. सभी बोली बोलने वाले अपने आधार कार्ड/वोटर कार्ड या पहचान हेतु अन्य कोई वैध सरकारी दस्तावेज की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति जमा करायेंगे। जिसको नीलामी समिति द्वारा स्वीकार करने के उपरान्त ही बोली बोलने वाले नीलामी की कार्य कार्यवाही में सम्मिलित हो सकेंगे तथा अग्रिम धनराशि जमा करने के पश्चात नीलामी की शर्तों से संबंधित सूचना पर हस्ताक्षर करेंगे।
8. नीलामी के दिन निदेशक/नीलामी समिति को कोई भी अन्य शर्तें जो यहां पर अपूर्ण रह गयी हो को सम्मिलित करने का अधिकारी होगा।
9. नीलामी हेतु आरक्षित धनराशि से अधिक की अधिकतम राशि की बोली ही मान्य होगी।
10. उक्त नीलामी के संबंध में सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नीलामी को बिना किसी सूचना/कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकारी भी संस्थान के पास सुरक्षित होगा।